

उत्तर प्रदेश शासन

पशुधन अनुभाग-1

संख्या-24/2018/2510/37-1-17-5(1)/2018

लखनऊ: दिनांक 13 फरवरी, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

डा० रीता रानी सिंह, तत्कालीन पशु चिकित्साधिकारी, शाहदरा आगरा को वर्ष 2010-11 की वार्षिक प्रविष्टि में निम्नांकित प्रतिकूल अंश संसूचित किये गये थे।

"कृत्रिम गर्भाधान, बथियाकरण एवं चिकित्सा के लक्ष्य अपूर्ण। श्रेणी-खराब।"

2- डा० रीता रानी सिंह, तत्कालीन पशु चिकित्साधिकारी, शाहदरा आगरा द्वारा इस संबंध में अपना प्रत्यावेदन दिनांक 17-07-2012 प्रस्तुत किया गया। अपने प्रत्यावेदन में डा० रीता रानी सिंह द्वारा उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2010-11 में उनके द्वारा कृत्रिम गर्भाधान, बथियाकरण एवं चिकित्सा के लक्ष्य पूर्ण करने हेतु सीमित संसाधनों के बावजूद अथक परिश्रम एवं प्रयास किया गया तथा उक्त मर्दों में वर्ष 2009-10 की तुलना में वर्ष 2010-11 में अधिक प्रगति की गयी। आलोच्य वर्ष में उनके पशुचिकित्सालय के अन्तर्गत कोई भी पशु सेवा केन्द्र कार्यरत नहीं रहा था एवं न ही कोई पैरावेट पदस्थ था। उक्त के अतिरिक्त डा० रीता रानी सिंह द्वारा अपने प्रत्यावेदन में यह भी उल्लेख किया गया है उक्त प्रतिकूल प्रविष्टि उन्हें समयबद्ध रूप से अर्थात् 45 दिनों के भीतर संसूचित नहीं की गयी, बल्कि निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त लगभग 18 माह बाद संसूचित की गयी।

3- वर्ष 2010-11 में संसूचित चरित्र प्रविष्टि, डा० रीता रानी सिंह का प्रत्यावेदन दिनांक 17-07-2012, निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या एवं अन्य संगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त यह पाया गया कि डा० रीता रानी सिंह द्वारा आलोच्य वर्ष 2010-11 में गत वर्ष 2009-10 से अधिक लक्ष्यों की पूर्ति की गयी। सम्भवतः आलोच्य वर्ष में उन्हें अधिक लक्ष्य लगभग डेढ़ गुना निर्धारित कर दिये गये।

4- अतः प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक् विचारोपरान्त डा० रीता रानी सिंह के प्रत्यावेदन दिनांक 17-07-2012 को स्वीकार करते हुये उनकी वर्ष 2010-11 की वार्षिक प्रविष्टि में अंकित प्रतिकूल अंशों "कृत्रिम गर्भाधान, बथियाकरण एवं चिकित्सा के लक्ष्य अपूर्ण" को विलोपित करते हुये श्रेणी-सन्तोषजनक प्रदान की जाती है।

डा० सुधीर एम० बोबडे

प्रमुख सचिव।

संख्या-24/2018/2510/37-1-2017.तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, ३०प्र०, लखनऊ।
- 2- संयुक्त निदेशक (प्रशासन), पशुपालन विभाग, ३०प्र०, लखनऊ।
- 3- सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास, लखनऊ।
- 4- पटल सहायक, प्रविष्टि सेल को चरित्र पंजिका में रखने हेतु।
- 5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सत्येन्द्र कुमार सिंह  
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।